

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2024

विषय: मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत एवं विस्तारित नगर पालिका परिषद को धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/450/28-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-01.01.2024, पत्र सं0-तक0सेल/478/28-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-12.01.2024, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त पत्र में उल्लिखित निकायों हेतु मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित/उच्चिकृत/सीमा विस्तारित निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत एवं विस्तारित नगर पालिका परिषद में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मूलभूत आवश्यक विकास/ सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से नवसृजित नगर पंचायत एवं विस्तारित नगर पालिका परिषद की संलग्न सूची के अनुसार कार्य कराने हेतु कुल धनराशि ₹0 784.247 लाख (₹0 सात करोड़ चौरासी लाख चौबीस हजार सात सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में सम्पूर्ण धनराशि ₹0 784.247 लाख (₹0 सात करोड़ चौरासी लाख चौबीस हजार सात सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/ 125/2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

I/482404/2024

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
7. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
8. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
9. प्रश्रुत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
10. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
11. प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
12. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्ट्रे बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
13. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
14. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
15. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
16. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रुत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
17. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कायदेशि निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. संबंधित निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत निर्गत की जा रही धनराशि में निर्णयोंपरान्त एक प्रतिशत ए०एण्ड०ओ०ई० मद की धनराशि सम्मिलित है। जिन निकायों द्वारा प्रत्येक कार्य की लागत में तीन प्रतिशत, आई०ई०सी० एवं ए०एण्ड०ओ०ई० मद की धनराशि शामिल की गयी है, उन निकायों को केवल एक प्रतिशत ए०एण्ड०ओ०ई० मद में व्यय करने की अनुमति है। शेष धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
19. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकायों को उपलब्ध करायी जाये।
20. निर्गत की जा रही धनराशि से निकायों द्वारा 03 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं०-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
21. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं०-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।

I/482404/2024

22. प्रस्तावित कार्यों के संबंध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये तथा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश दिनांक-08.08.2022 के अन्तर्गत गठित समिति के माध्यम से सत्यापन भी करा लिया जाये।

23. समस्त निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिसासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।

24. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,22,60,400 (रुपये दो करोड़ बाईस लाख साठ हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक "2217801920300 उच्चिकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" तथा (2) रुपये 5,61,64,300 (रुपये पांच करोड़ इकसठ लाख चौंसठ हजार तीन सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक "2217801930300 नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,



(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

संख्या-12(1)/54 मु0मं0न0सू0यो0नौ-2-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) संबंधित मण्डलायुक्त।
- (7) संबंधित जिलाधिकारी।

I/482404/2024

- (8) संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत द्वारा निदेशक।
- (9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- (10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- (11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- (12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

I/482404/2024

शासनादेश संख्या-12/154 मु0मं0न0सु0यो0-9-2-2024 कम्प्यूटर सं0-1782362, दिनांक-31.01.2024 का अनुलग्नक

1- नवसृजित नगर पंचायत, पयागपुर, जनपद-बहराईच।

| (धनराशि लाख में) | | | |
|------------------|---|--|-------------------------|
| क्रमांक | कार्य का नाम | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि | निर्गत की जा रही धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वार्ड नं0 06 हुजुरपुर पयागपुर सम्पर्क मार्ग मस्जिद से कोठारे कुंआ की तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 32.895 | 32.895 |
| 2 | वार्ड नं0 07 राजेश जायसवाल के घर के पास से राम समुज शर्मा के घर होते हुये चुम्मा शर्मा के घर तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 10.428 | 10.428 |
| 3 | वार्ड नं0 01 सतीश के घर से अमित के घर के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 8.484 | 8.484 |
| 4 | वार्ड नं0 10 काली जी मंदिर के बगल से कल्लन चाचा के घर के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 15.138 | 15.138 |
| 5 | वार्ड नं0 10 अजीज मास्टर के घर से कल्लन के घर के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।। | 10.614 | 10.614 |
| 6 | वार्ड नं0 02 वासुदेव मौर्या के घर से अशर्फी यादव के घर के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।। | 11.724 | 11.724 |
| 7 | वार्ड नं0 05 मुरली शर्मा के घर से राजेन्द्र के घर होते हुए सत्य प्रकाश शर्मा के घर के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 4.610 | 4.610 |
| 8 | वार्ड नं0 05 गणेश यादव के घर से माझा यादव के घर के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 3.312 | 3.312 |

I/482404/2024

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| 9 | वार्ड नं0 11 मालती बहन जी के घर से गणेश दत्त शास्त्री के घर के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 18.203 | 18.203 |
| 10 | वार्ड नं0 02 सूर्यमाणि के घर से नन्दलाल के घर के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 13.443 | 13.443 |
| 11 | वार्ड नं 03 काशी नाथ सिंह के घर से डा0 जीमल के घर के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 17.256 | 17.256 |
| 12 | वार्ड नं0 04 काली रोड से लोनियनपुरवा मार्ग पर प्रा0 वि0 विद्यालय के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 12.097 | 12.097 |
| 13 | वार्ड नं0 02 मेन हाईवे से मिथिलेश सोनी के घर की तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 11.076 | 11.076 |
| 14 | वार्ड नं0 02 छोटे विश्वकर्मा के घर से राम अवतार के घर की तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 2.651 | 2.651 |
| 15 | वार्ड नं0 02 वासुदेव मौर्या के घर के पीछे से होते हुए गोण्डा- बहराइच मार्ग के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 10.428 | 10.428 |
| 16 | वार्ड नं0 03 सडक से डा0 जमील के घर की तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 3.922 | 3.922 |
| 17 | वार्ड नं0 03 जीवन के घर से अचला देवी के घर की तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 12.122 | 12.122 |
| 18 | वार्ड नं0 05 शीतल शर्मा के घर से सतगुरू पासवान के घर के तरफ मटखनवा तालाब तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 21.492 | 21.492 |
| 19 | वार्ड नं0 05 सतगुरू के घर से मटखनवा तालाब तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 32.209 | 32.209 |

I/482404/2024

| | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| 20 | वार्ड नं0 05 अहिरन पुरवा सम्पर्क मार्ग से लालता माता जी के स्थान होते हुए ब्रह्म बाबा जी स्थान तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 13.580 | 13.580 |
| 21 | वार्ड नं0 11 शिव शंकर जी के मन्दिर से फौजदार जी के घर के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 14.316 | 14.316 |
| 22 | वार्ड नं0 12 ब्लॉक रोड से मदरसा होते हुए छोटकऊ के घर के तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।। | 7.598 | 7.598 |
| 23 | वार्ड नं0 12 नागेन्द्र सिंह के घर के बगल गली से गुरुद्वारा साहब की तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 15.318 | 15.318 |
| 24 | वार्ड नं0 13 दिनेश सिंह के घर से ननकऊ कश्यप घर होते हुए रतन पाण्डे के घर की तरफ सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। | 27.201 | 27.201 |
| | 1 % (ए0 एण्ड0 ओ0 ई0) | 3.301 | 3.301 |
| | योग | 333.418 | 333.418 |
| (रू0 तीन करोड़ तैंतीस लाख इक्तालीस हजार आठ सौ मात्र) | | | |

2- नवसृजित नगर पंचायत, मिरहची, जनपद - एटा।

(धनराशि लाख में)

| क्रमांक | कार्य का नाम | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि | निर्गत की जा रही धनराशि |
|---------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वार्ड नं0 10 मोहल्ला नगलानथान्याजनगर में राकेश के प्लाट से ओम प्रकाश के प्लाट तक आर0 सी0 सी0 नाला निर्माण कार्य। | 3.312 | 3.312 |
| 2 | वार्ड नं0 10 मोहल्ला नगलानथान्याजनगर में शनी के प्लाट से राजेश के प्लाट तक आर0 सी0 सी0 नाला निर्माण कार्य। | 4.124 | 4.124 |

I/482404/2024

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| 3 | वार्ड नं० 10 मोहल्ला नगलानथान्याजनगर में सोनू के प्लाट से शनी के प्लाट तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य। | 4.454 | 4.454 |
| 4 | वार्ड नं० 10 मोहल्ला नगलानथान्याजनगर में राजेश के प्लाट से पतरौल के प्लाट तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य। | 4.963 | 4.963 |
| 5 | वार्ड नं० 10 मोहल्ला नगलानथान्याजनगर में सरकारी नाली से राकेश के प्लाट तक आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य। | 4.963 | 4.963 |
| 6 | मिरहची चौराहे का सौन्दर्यीकरण हाईमास्ट लाईट 20 मीटर | 8.269 | 8.269 |
| 7 | नगर पंचायत मिरहची के 15 वार्डों में लाईट अधिष्ठापन का कार्य। | 33.041 | 33.041 |
| | 1 % (ए० एण्ड० ओ० ई०) | 0.631 | 0.631 |
| | योग | 63.757 | 63.757 |
| | | (रू० तिरसठ लाख पचहत्तर हजार सात सौ मात्र) | |

3-नवसृजित नगर पंचायत, पकडिया नौगांवां, जनपद-पीलीभीत।

(धनराशि लाख में)

| क्रमांक | कार्य का नाम | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि | निर्गत की जा रही धनराशि |
|---------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सड़क निर्माण कार्य रेलवे क्रॉसिंग से काशीराम कॉलोनी तक वार्ड नंबर 5 | 10.820 | 10.820 |
| 2 | इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य सरताज के मकान से अजर कपड़ा फैक्ट्री तक वार्ड नंबर 6 11 | 12.870 | 12.870 |
| 3 | सीसी रोड अटल की दुकान से गणेश प्रसाद की दुकान तक वार्ड नंबर 01 | 25.500 | 25.500 |
| 4 | नाला निर्माण कार्य महावीर सिंह के घर से पूरनपुर रोड तक वार्ड नंबर 03 | 27.040 | 27.040 |
| 5 | नाला निर्माण कार्य गुरुद्वारा परमेश्वरी दयाल से मुकेश के मकान तक वार्ड नंबर 07 | 19.730 | 19.730 |
| 6 | नाला निर्माण कार्य ताहिर खान के घर से समिउल्ला के मकान तक वार्ड | 34.330 | 34.330 |

I/482404/2024

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| | नंबर 09 | | |
| 7 | नाला निर्माण कार्य नगर पंचायत कार्यालय रोड से अबरार के मकान तक वार्ड नंबर 14 | 32.550 | 32.550 |
| | 1 % (ए० एण्ड० ओ० ई०) | 1.6284 | 1.6284 |
| | योग | 164.468 | 164.468 |
| | | (रु० एक करोड़ चौसठ लाख छियालीस हजार आठ सौ मात्र) | |

4-विस्तारित नगर पालिका परिषद, तेतरी बाजार, जनपद-सिद्धार्थनगर।

(धनराशि लाख में)

| क्रमांक | कार्य का नाम | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि | निर्गत की जा रही धनराशि |
|---------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वार्ड नं०-03 पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर में अवधेश के मकान से कुएं तक एवं सहायक गली में सी० सी० रोड़ एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य। | 28.410 | 28.410 |
| 2 | वार्ड नं०-03 पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर में सुखराम के मकान से तारा देवी के मकान होते हुए मंदिर मेन रोड़ तक मिट्टी भराई, ब्रिक सोलिंग एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य। | 22.420 | 22.420 |
| 3 | वार्ड नं०-10 विवेकानन्द नगर में गोरखपुर मोहल्ले में इन्द्र मोहन श्रीवास्तव के मकान से अरविन्द झा के मकान तक एवं उसके सहायक गली में सी० सी० रोड़ का निर्माण कार्य। | 29.290 | 29.290 |
| 4 | वार्ड नं०-10 विवेकानन्द नगर में लाल बहादुर के घर से शिवपूजन के घर होते हुए प्रकाश के घर तक सी० सी० रोड़ एवं आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य। | 29.820 | 29.820 |
| 5 | वार्ड नं०-10 विवेकानन्द नगर में मेन रोड़ हनुमान मन्दिर के पीछे से मुक्तिनाथ के घर तक मिट्टी भराई, सी० सी० रोड़ एवं | 31.400 | 31.400 |

I/482404/2024

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| | आर0 सी0 सी0 नाली निर्माण कार्य। | | |
| 6 | वार्ड नं0-10 विवेकानन्द नगर में गोरखपुर टोला से बड़की बलुरी तक मिट्टी भराई व ब्रिक सोलिंग का कार्य। | 39.220 | 39.220 |
| 7 | वार्ड नं0-20 आजाद नगर में राय साहब के घर से साधना श्रीवास्तवा के मकान तक मिट्टी भराई, सी0 सी0 रोड़ एवं सी0 सी0 नाली ढक्कन का कार्य। | 39.840 | 39.840 |
| | 1 % (ए0 एण्ड ओ0ई0) | 2.204 | 2.204 |
| | योग | 222.604 | 222.604 |
| (रू0 दो करोड़ बाइस लाख साठ हजार चार सौ मात्र) | | | |